मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018,

क्रमांक एफ–1(बी)40/2017/बी–4/दो,:: राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेबल–09 (रूपये 36,200–114,800/–) में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ करता है :–

क्रमांक	लोक सेवा आयोग की अनुपूरक सूची क0	उम्मीदवार का नाम	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1.	41	सुश्री किरण कापसे (अजा)	विदिशा
2.	02	श्रीमती स्नेहलता बैस (अनारक्षित)	श्योपुर
3.	03	श्री आशीष त्रिपाठी (अनारक्षित)	छतरपुर
4.	05	सुश्री ज्योति तोमर (अनारक्षित)	इंदौर
5.	06	श्री राधावल्लभ शरण भारद्वाज (अनारक्षित)	छिंदवाडा
6.	42	श्री पंकज घनघोरिया (अजा)	रीवा
7.	43	श्री चेतन शाक्यवार (अजा)	सतना
8.	44	सुश्री किरन गुप्त (अजा)	सागर
9.	11	श्रीमती ममता पाराशर (अनारक्षित)	शाजापुर
10.	12	सुश्री शिल्पी श्रीवास्तव (अनारक्षित)	श्योपुर
11.	10	श्रीमती डॉली गुप्ता (अनारक्षित)	राजगढ
12.	09	श्री विशाल खरे (अनारक्षित)	अनूपपुर
13.	32	श्री रामवीर सिंह (अपिव)	सीहोर
14.	04	श्री रोहित गुप्ता (अनारक्षित)	पन्ना
15.	61	सुश्री बसंती गीरवाल (अजजा)	खण्डवा
16.	62	सुश्री दीप्ति यादव (अजजा)	देवास

17.	63	सुश्री सूरज वर्मा (अजजा)	देवास
18.	66	सुश्री दीपिका गुर्जर (अपिव) दिव्यांग	भोपाल

2/— नियुक्त अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित समस्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

3/— नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित प्रकरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961, म.प्र. लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1991 तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत शासित होंगे।

4/— नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग से जारी सूची के कमानुसार निर्धारित होगी।

5/— नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोडना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन तथा भत्ते जो उस समय प्राप्त कर रहे होगें, नगद जमा करना होगा, अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भॉति उनसे वसूल की जावेगी।

6/— नवनियुक्त अधिकारी पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

7/— नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

8/— नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

9/— अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र तथा निःशक्तजन उम्मीदवार की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला अभियोजन अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

10/– प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग को आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमाक, सन 1994) उपबंधों को और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी0एस0 मुकाती)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

पृ0क0एफ–1(बी) 40/2017/बी–4/दो भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि :– **निम्नाकिंत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, की ओर उनके पत्र कमांक 3138/51/2016/चयन दिनांक 22 मई 2018, 3862/51/2016/चयन दिनांक 31 मई 2018, 2502/51/2016/चयन दिनांक 15 मई 2018, 5343/51/2016/चयन दिनांक 21 जून 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. संबंधित कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक – द्वारा संचालक, लोक अभियोजन, म0प्र0
5. संबंधित कोषालय अधिकारी,
6. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, गृह विभाग।
7. स्टाफ आॅफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह।
8. निज सचिव, सचिव, गृह ।
9. संबंधित उप सचांलक, अभियोजन, – द्वारा संचालक, लोक अभियोजन, म0प्र0
10. संबंधित जिला लोक अभियोजन अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उनके मूल नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक योग्यता, जाति–प्रमाण एवं शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि संबंधी मूल अभिलेख की जॉच कर ले तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को दे।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी..

....

समस्त उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थापना स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में मूल अभिलेखों के साथ निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग